

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 13, शक 1942

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-37-4-2017-बीस-3.- मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2018) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा फीस के अधिनियम और संबंधित विषयों हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 26 जून, 2018 में पूर्व में प्रकाशित किया गया था, अर्थात् :-

नियम

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ --
 - इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 है।
 - यह, ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं:-
 - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - “शैक्षणिक सत्र” से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड सहित अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा यथा अधिसूचित शैक्षणिक सत्र;
 - “अधिनियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017;
 - “प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता” से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/संचालक/प्रबंधक/न्यासी हो तथा जो इन नियमों के अधीन निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित वचनबंध या प्रतिज्ञान या अन्य सुसंगत जानकारी वाले किन्हीं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हो;
 - “आयुक्त” से अभिप्रेत है, आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश;
 - “संचालक” से अभिप्रेत है, संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश;
 - “जिला समिति” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 7 के अधीन फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति;

- (छ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन विहित प्ररूप;
- (ज) "पोर्टल" से अभिप्रेत है, अधिनियम के प्रयोजनों और इन नियमों के कार्यान्वयन हेतु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अभिनिर्धारित आधिकारिक वेब पोर्टल ;
- (झ) "स्कूल शिक्षा विभाग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का स्कूल शिक्षा विभाग;
- (ञ) "राज्य समिति" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति।
- (2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उन्हें उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।
3. सामान्य जानकारी एवं लेखाओं की प्रस्तुति तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:-
- (1) प्रारंभिक जानकारी- प्रत्येक निजी विद्यालय इन नियमों के अधिसूचित होने के 90 दिनों के भीतर, पोर्टल पर निम्नानुसार जानकारी तथा अभिलेख, यथास्थिति, दर्ज अथवा अपलोड करेगा:-
- (एक) विद्यालयीन सामान्य जानकारी- प्रत्येक निजी विद्यालय के लिए पोर्टल पर अद्यतन जानकारी प्ररूप-एक के अनुसार प्री-फिल्ड रूप से उपलब्ध होगी, जो निजी विद्यालय के प्राधिकृत जो संबंधित निजी विद्यालय की धारा 2 की उप-धारा (1) (ग) में यथा परिभाषित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा अद्यतन, सत्यापित और अपलोड की जाएगी।
- (दो) संपरीक्षित लेखों संबंधी जानकारी- प्रत्येक निजी विद्यालय इन नियमों के अधिसूचित होने के वर्ष के पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के संपरीक्षित लेखों की प्रतियां प्ररूप-दो अनुसार पोर्टल पर अपलोड करेगा। संपरीक्षित लेखों में चिट्ठा (बेलेन्स शीट), प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक, आय व्यय शेड्यूल सहित तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन सम्मिलित होंगे।
- (2) प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी- प्रत्येक निजी विद्यालय प्रबंधन प्रतिवर्ष आगामी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के 180 दिवस पूर्व पोर्टल पर निम्नानुसार जानकारी तथा अभिलेख यथा स्थिति दर्ज अथवा अपलोड करेगा:-
- (एक) उपनियम 3(1) के खण्ड (1) के खण्ड (एक) के अधीन विद्यालय संबंधी सामान्य जानकारी में परिवर्तन होने की स्थिति में प्ररूप-एक की जानकारी अद्यतन करेगा एवं सत्यापित करेगा।
- (दो) विगत वित्तीय वर्ष के संपरीक्षित लेखें प्ररूप-दो अनुसार अपलोड करेगा।
- (तीन) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट प्राक्कलन की सत्यापित प्रति प्ररूप-दो अनुसार अपलोड करेगा।
- (चार) आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना प्ररूप-तीन अनुसार पोर्टल पर अपलोड करेगा। प्रस्तावित फीस संरचना में अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) में उपबंधित फीस की भदों के विरुद्ध संदेय राशि का उल्लेख करेगा। प्रस्तावित फीस संरचना के साथ ऐसी प्रक्रिया फीस ऑनलाइन जमा करेगा, जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए। यदि प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे कम है तो आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना सत्र प्रारंभ होने के 90 दिवस पूर्व तक पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा।
- (3) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अनुसार प्रक्रिया फीस के संग्रहण हेतु विभाग द्वारा एक पृथक खाते का संधारण किया जाएगा। उक्त खाते का संचालन, संचालक, लोक शिक्षण अथवा अपर संचालक, लोक शिक्षण एवं संयुक्त संचालक, वित्त लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। प्रत्येक निजी विद्यालय प्रस्तावित फीस संरचना के साथ निर्धारित प्रक्रिया फीस इस खाते में ऑनलाइन जमा की जावेगी।
- (4) निजी विद्यालय द्वारा उपनियम (2) के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी मय प्रक्रिया फीस, नियत समयसीमा में प्रस्तुत न करने की स्थिति में जिला समिति, उक्त निजी विद्यालय पर ऐसा अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेगी जैसा कि विभाग द्वारा निर्धारित किया जाए।
- जिला/राज्य समिति द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना का परीक्षण और प्रस्ताव पर निर्णय लेने की प्रक्रिया :-
4. (1) नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (2) के उप खण्ड (चार) अनुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे कम है तो निजी विद्यालय ऐसी प्रस्तावित फीस वृद्धि करने हेतु सक्षम होगा। निजी विद्यालय द्वारा प्ररूप तीन में प्रस्तुत ऐसी फीस वृद्धि का प्रस्ताव जिला समिति के सम्यक रूप से सूचित और स्वीकृत मान्य होगा। जिला समिति द्वारा इस संबंध में कोई पृथक आदेश जारी करना अपेक्षित नहीं होगा।

- (2) नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड के उपखण्ड (चार) के अनुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 10% से अधिक किन्तु 15% या उससे कम है, तो जिला समिति प्रस्तावित फीस संरचना पर 45 कार्यदिवसों के भीतर निर्णय लेगी।
- (3) नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड के उपखण्ड (चार) के अनुसार निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना में वृद्धि यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में 15% से अधिक है, तो जिला समिति 07 कार्यदिवसों के भीतर अपने अभिमत सहित प्रस्ताव को राज्य समिति को प्रेषित करेगी।
- (4) जिला समिति प्रस्तावित फीस संरचना पर निर्णय हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करेगी:-
- (क) प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत जानकारी व दस्तावेजों का परीक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित फीस संरचना अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) एवं धारा 5 की उपधारा (3) के अनुक्रम में है।
- (ख) निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तुत फीस संरचना के परीक्षण तथा प्रस्तावित फीस संरचना पर निर्णय की प्रक्रिया में उद्भूत ऐसे बिन्दुओं पर जैसा कि समिति द्वारा नियत किया जाए, पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की सेवाएं ले सकेगी। विभाग जिलावार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का चिन्हांकन तथा उन्हें भुगतान किये जाने वाले शुल्क के संबंध में समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी करेगा।
- (ग) निजी विद्यालय के प्रबंधन से ऐसी अतिरिक्त जानकारी या साक्ष्य मांगी सकेगी, जो कि प्रस्तावित फीस संरचना पर विनिश्चय करने के लिए वह आवश्यक समझती है।
- (घ) प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों में दी गई जानकारी अथवा तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए सहायक संचालक, लोक शिक्षण से अनिम्न स्तर के अधिकारी को निर्देशित कर सकेगी।
- (ङ) फीस संरचना प्रस्ताव पर निर्णय लेने के पूर्व विद्यालय प्रबंधन को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी। आवश्यक होने पर संबंधित विद्यालय में प्रवेशित छात्रों अथवा उनके माता-पिता या अभिभावकों को भी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर सकेगी।
- (च) प्रस्तावित फीस संरचना पर निर्णय लेने हेतु 45 कार्यदिवस की समयसीमा जिला समिति के लिए बाध्यकारी होगी। इस कालावधि की गणना करने में उपनियम (4)(ग) के अधीन निजी विद्यालय द्वारा लिया गया समय सम्मिलित नहीं माना जाएगा।
- (छ) जिला समिति द्वारा पारित निर्णय को जिला शिक्षा अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित विद्यालय को प्ररूप-चार में सूचित करेगा। ऑनलाइन आदेश को प्रत्येक उद्देश्य के लिए सम्यक रूप से तामील किया गया माना जावेगा।
- (5) उपनियम (4)(क) से (4)(च) तक के प्रावधान यथा आवश्यक परिवर्तन सहित राज्य समिति पर भी लागू होंगे।
- (6) उपनियम (3) अनुसार प्रस्ताव पर राज्य समिति, प्रस्तावित फीस संरचना पर 45 कार्यदिवसों में निर्णय लेगी। यह समयसीमा राज्य समिति के लिए बाध्यकारी होगी। इस कालावधि की गणना करने में उपनियम (4)(ग) के अधीन निजी विद्यालय द्वारा लिया गया समय, यदि कोई है तो, उसे सम्मिलित नहीं माना जाएगा।
- (7) संचालक, लोक शिक्षण, राज्य समिति द्वारा पारित निर्णय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित विद्यालय को प्ररूप-पांच (एक) में सूचित करेगा। ऑनलाइन आदेश को प्रत्येक उद्देश्य के लिए सम्यक रूप से तामील किया गया माना जावेगा।
- (8) निजी विद्यालय प्रबंधन, उपनियम (1) के अनुसार प्रस्तावित की गई अथवा उपनियम (4) के खण्ड (छ) के अनुसार जिला समिति द्वारा अथवा उपनियम (6) के अनुसार राज्य समिति द्वारा निर्णय की गई फीस संरचना हिंदी और अंग्रेजी भाषा में विद्यालयीन सूचना-पटल एवं उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जनसामान्य के सूचनार्थ प्रदर्शित करेगा।
- (9) निजी विद्यालय का प्रबंधन या उसकी तरफ से अधिकृत कोई व्यक्ति इस नियम के उपबंधों के अधीन विनिश्चित फीस से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा। किसी छात्र, माता पिता या अभिभावक से किसी भी नाम से कोई दान या प्रति व्यक्ति (केपिटेशन) फीस प्राप्त नहीं करेगा। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का निराकरण नियम 9 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार किया जा सकेगा।

(10) इस नियम के उपबंधों के अधीन विनिश्चित फीस से अधिक फीस यदि संग्रहित की गई है, तो जिला समिति अथवा राज्य समिति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा विनिश्चित दिनांक से 30 कार्यदिवसों की कालावधि के भीतर निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा संबंधित छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों को प्रतिदाय (वापस) की जाएगी। फीस प्रतिदाय की सूचना संबंधित विद्यालय द्वारा यथास्थिति, जिला अथवा राज्य समिति को दी जायेगी।

(11) जिला अथवा राज्य समिति जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विनिश्चित फीस यदि विद्यालय द्वारा संग्रहित फीस से अधिक है तो ऐसी स्थिति में फीस का अंतर युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा कि जिला अथवा राज्य समिति अपने आदेश में विनिर्दिष्ट करे, छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन को वापस की जाएगी।

5. **फीस के निक्षेप तथा उपगत व्ययों के लिए बैंक खाता :-** (1) प्रत्येक निजी विद्यालय का एक बैंक खाता होगा जिसे निजी विद्यालय द्वारा फीस के निक्षेप के लिए अभिहित किया जाएगा। निजी विद्यालय द्वारा प्रवेश के समय छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों को उक्त बैंक खाते का विवरण और फीस जमा करने की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। यह जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

(2) पालकों अथवा अभिभावकों द्वारा फीस का भुगतान ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा अथवा ऑफलाईन माध्यमों जैसे नकद, चेक इत्यादि द्वारा किया जा सकेगा। निजी विद्यालय समस्त प्राप्त फीस की राशि उपनियम (1) अनुसार अभिहित बैंक खाते में जमा कराई जावेगी।

(3) निजी विद्यालय, पालकों अथवा अभिभावकों को उनके द्वारा जमा की गई फीस की रसीद प्रदाय करेगा। ऑनलाईन जमा की गई फीस की रसीद उक्त भुगतान के बैंक खाते से सत्यापन के बाद प्रदान की जाएगी।

(4) निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा समस्त लेन-देन व्यवहार उप नियम (1) के अनुसार अभिहित खाते के माध्यम से किया जाएगा। नकद आहरण एवं सवितरण का प्रचलन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 40क की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत कर सकेगा।

6. **संबंधित विषयों का विनियमन :-**

(1) संबंधित विषयों को निम्नलिखित तरीके से विनियमित किया जाएगा, अर्थात :-

(क) निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा, विद्यालय प्रवेश प्रारंभ की तिथि एवं प्रक्रिया, विद्यालय में उपयोग में लायी जाने वाली पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी, पठन सामग्री, बैग, यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स किट, ट्रांसपोर्ट सुविधा, फीस अथवा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संग्रहित की जाने वाली धनराशि का विवरण विद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

(ख) निजी विद्यालय विद्यालय की विवरण पुस्तिका एवं आवेदन पत्र प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक जानकारी विद्यालय के सूचना पटल एवं आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करायेगा। इस हेतु यदि अभिभावकों द्वारा कोई भुगतान किया जाना अपेक्षित है तो स्पष्टतः उल्लेख करेगा।

(ग) निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा पाठ्यपुस्तकों का निर्धारण ऐसे संबद्धता बोर्ड अथवा परीक्षा निकाय के विनियमों के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि वह संबद्ध है।

(घ) निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें, यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से कय करने के लिए औपचारिक अथवा अनौपचारिक, किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जाएगा। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से कय करने के लिये स्वतंत्र होंगे।

(ङ) विद्यालय प्रबंधन द्वारा यूनिफॉर्म को छोड़कर किसी भी पाठ्य सामग्री पर विद्यालय का नाम उल्लिखित नहीं किया जाएगा।

(च) यदि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालयीन गणवेश में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आगामी तीन शैक्षणिक सत्रों तक यथावत लागू रहेगी। तीन वर्ष की अवधि पश्चात ही गणवेश में परिवर्तन किया जा सकेगा।

(छ) निजी विद्यालय प्रबंधन, परिवहन सुविधाओं के संबंध में परिवहन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

(ज) निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में इस हेतु अभिभावकों से प्राप्त की जाने वाली राशि, नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (4) अनुसार प्रस्तावित फीस संरचना में सम्मिलित की जाएगी।

(2) निजी विद्यालय संबंधित विषयों के बारे में उपनियम (1) में वर्णित प्रावधानों का पालन करेगा। इस आशय का वचन पत्र प्रतिवर्ष प्ररूप-छह अनुसार पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

7. **जिला समिति की कार्य प्रक्रिया एवं कृत्यः-**(1) अध्यक्ष, जिला समिति, फीस तथा अन्य संबंधित विषयों के विनियमन हेतु अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के तहत गठित जिला समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(2) जिला समिति की बैठक की तिथि, समय व स्थान तथा एजेंडा अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। सदस्य सचिव द्वारा इसे जिला समिति के सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा।

(3) बैठक का एजेंडा एवं सूचना जिला समिति के प्रत्येक सदस्य को ऐसी समय सीमा व तरीके से भेजी जाएगी, जैसी कि जिला समिति द्वारा नियत की जाए।

(4) जिला समिति की बैठक की गणपूर्ति न्यूनतम तीन सदस्यों से होगी। गणपूर्ति हेतु अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(5) जिला समिति का सदस्य सचिव, अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेगा। सदस्य सचिव बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार करेगा और बैठक की तारीख से 07 दिनों के भीतर समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित करेगा।

(6) जिला समिति के निर्णय तथा आधिकारिक पत्राचार सदस्य सचिव के हस्ताक्षर से संसूचित व जारी किए जाएंगे।

8. **राज्य समिति की कार्य प्रक्रिया एवं कृत्यः-** (1) नियम 7 के समस्त उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित राज्य समिति पर लागू होंगे।

(2) राज्य समिति, इस नियम के नियम 11 के अनुक्रम में निजी विद्यालय द्वारा प्रस्तुत अपील का विनिश्चय करेगी।

(3) राज्य समिति, जिला समिति द्वारा अधिरोपित शास्ति को घटा या बढ़ा सकेगी अथवा निरस्त कर सकेगी।

9. **फीस वृद्धि और संबंधित विषयों के बारे में शिकायतों का निपटारा-**

(1) जिला समिति शिकायत की जाँच करेगी, यदि- यह छात्र या छात्र के माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा अधिनियम और/या इन नियमों के किन्हीं भी उपबंधों के उस विद्यालय के प्रबंधन द्वारा उल्लंघन के संबंध में है, जिसमें छात्र अध्ययन कर रहा है।

(2) जिला समिति, अधिनियम और/या इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन संबंधी मामले का स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगी और आवश्यकतानुसार उसकी जांच कर सकेगी।

(3) जिला समिति, ऐसे निजी विद्यालय के परिसर में, जिसके विरुद्ध उपनियम (1) एवं (2) अनुसार जांच संस्थित की गई है, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रवेश के लिए सहायक संचालक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी।

(4) उपनियम (3) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसे दस्तावेजों की, जो जांच के संचालन के लिए आवश्यक और सुसंगत प्रतीत हों, तलाशी, निरीक्षण और जब्ती करेगा।

(4) जिला समिति को जाँच के प्रयोजन हेतु वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

(क) किसी भी साक्षी को समन कराना और उसे हाजिर होने को विवश करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना; और

(घ) साक्षी के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना।

(6) जिला समिति ऐसे निजी विद्यालय के प्रबंधन को, जिसके विरुद्ध जाँच संस्थित की गई है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगी।

- (6) जिला समिति ऐसे निजी विद्यालय के प्रबंधन को, जिसके विरुद्ध जाँच संस्थित की गई है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगी।
- (7) उपनियम (1) एवं (2) के अधीन, फीस में वृद्धि के संबंध में जाँच की पूर्णता पर, यदि जिला समिति यह पाती है कि निजी विद्यालय द्वारा नियम 4 के अधीन अनुज्ञात फीस से अधिक फीस संग्रहित की गई है तो यह उक्त निजी विद्यालय के प्रबंधन को उन छात्रों या उनके पालक या अभिभावकों को, जिनसे कि ऐसी फीस संग्रहित की गई है, प्रतिदाय (वापस) करने संबंधी आदेश पारित करेगी। आदेश पत्र में फीस वापस करने की समय सीमा व रीति का उल्लेख किया जाएगा।
- (8) अधिनियम व नियम 6 अथवा अन्य किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में की गई जाँच की पूर्णता पर जिला समिति यदि यह पाती है कि निजी विद्यालय के प्रबंधन द्वारा अधिनियम तथा इन नियमों के किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है तो वह निजी विद्यालय के प्रबंधन को उसके द्वारा यथा अवधारित राशि ऐसे छात्रों या उनके पालक या अभिभावकों को, जिनसे कि वह संग्रहित की गई है, प्रतिदाय करने संबंधी आदेश पारित करेगी। आदेश पत्र में राशि वापस करने की समय सीमा व रीति का उल्लेख किया जाएगा।
- (9) जिला समिति, उपनियम (7) अथवा (8) के अधीन प्रतिदाय आदेश के अतिरिक्त उक्त निजी विद्यालय के प्रबंधन पर, जहाँ प्रतिदाय का आदेश पहली बार जारी किया गया है, वहाँ दो लाख रुपए तक की शास्ति और जहाँ प्रतिदाय का आदेश दूसरी बार जारी किया गया है वहाँ चार लाख रुपए तक की शास्ति और प्रतिदाय के पश्चातवर्ती आदेशों के लिए छह लाख रुपए तक की शास्ति अधिरोपित करेगी।
- (10) जिला समिति, उपनियम (9) के अधीन शास्ति के अधिरोपण के अतिरिक्त उक्त निजी विद्यालय की मान्यता को निलंबित या रद्द करने की अनुशंसा भी सक्षम प्राधिकारी को कर सकेगी।
- (11) यदि निजी विद्यालय प्रबंधन, उपनियम (7) अथवा (8) में यथा आदेशित राशि के प्रतिदाय या उपनियम (9) के अधीन अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने में असफल रहता है, तो जिला समिति उक्त राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए जिला कलेक्टर को अनुरोध भेजेगी।
- (12) उपनियम (11) के अधीन वसूल की गई राशि, ऐसे व्यक्तियों को तथा ऐसी प्रक्रिया द्वारा संदत्त की जाएगी, जैसा कि प्रतिदाय आदेश में उल्लेखित हो। वसूल की गई शास्ति की राशि इस हेतु नियम 3 के उपनियम (3) के अनुसार नियत बैंक खाते में जमा की जाएगी।
10. **प्रक्रिया फीस तथा शास्ति से प्राप्त राशि का व्यय:-** (1) प्रक्रिया फीस तथा शास्ति के रूप में प्राप्त राशि नियम 3 के उपनियम (3) के अनुसार बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- (2) प्रक्रिया फीस तथा शास्ति के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा:-
- (एक) विभागीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस के क्रियान्वयन हेतु अधोसंरचना विकास।
- (दो) विद्यालयों में आईसीटी समर्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक अधोसंरचना एवं आईटी सोल्युशंस की उपलब्धता हेतु।
- (तीन) विभागीय अधिकारियों, संस्था प्रमुखों तथा शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए नेतृत्व विकास तथा सॉफ्ट स्किल्स वृद्धि संबंधी प्रशिक्षण हेतु।
- (चार) देश व विदेश में आईसीटी तथा शिक्षा गुणवत्ता के क्षेत्र में हुए नवाचारों के अध्ययन के लिए विभागीय अधिकारियों, संस्था प्रमुखों तथा शिक्षकों की एक्सपोजर विजिट हेतु।
- (पांच) ऐसे कार्य अथवा विषयों के क्रियान्वयन हेतु जो आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा समय समय पर आवश्यक समझे जाएं।
11. **अपील का निपटारा:-**
- (1) नियम 4 के उपनियम (4) के खण्ड (छ) के अनुक्रम में पारित जिला समिति के आदेश से व्यथित निजी विद्यालय ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से 15 कार्य दिवसों के भीतर राज्य समिति को अपील कर सकेगा। इस हेतु प्रक्रिया फीस के रूप में रु. 2500/- की राशि नियम 3 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट खाते में ऑनलाईन जमा करेगा।
- (2) अपील आवेदन करने में विलम्ब की दशा में आवेदक निजी विद्यालय अपील आवेदन करने की अंतिम तिथि से आगामी 10 कार्यदिवसों तक, विलम्ब के कारणों तथा रु. 5000/- विलम्ब फीस सहित नियम 3 के उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट खाते में ऑनलाईन जमा कर सकेगा। राज्य समिति विलम्ब के कारणों से सहमत होने की दशा में अपील आवेदन पर विहित प्रक्रिया अनुसार विचार करेगी।

- (3) राज्य समिति, अपील के निराकरण हेतु प्रकरण में जिला समिति द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी अभिलेख तथा अपीलार्थी से ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकेगी, जैसी कि अपील के विनिश्चय के लिए वह आवश्यक समझे।
- (4) राज्य समिति, प्रकरण से संबंधित सभी कारकों पर विचार करते हुए तथा संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्ररूप-पांच (दो) के अनुसार आख्यापक (बोलता हुआ) आदेश पारित करके अपील का विनिश्चय करेगी।
- (5) राज्य समिति, अपील प्राप्ति दिनांक से 45 कार्य दिवसों के भीतर अपील का विनिश्चय करेगी। राज्य समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 12. लेखा और अभिलेखों का रखरखाव:-** (1) प्रत्येक निजी विद्यालय निम्नलिखित रीति से लेखे संधारित करेगा, अर्थात् :-
- (एक) प्रत्येक निजी विद्यालय समस्त प्रकार के सुसंगत लेखे एवं संव्यवहार संधारित करेगा
- (दो) शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के वेतन के लिए स्रोत में कटौती (टीडीएस) से संबंधित प्रमाण पत्र;
- (तीन) संबंधित न्यास अथवा संबद्ध/धारण/समान न्यास की सहायक कंपनी/संचालक/सदस्य अथवा रिश्तेदार/समिति/समिति सदस्य की ओर किए गए व्यय।
- (2) निजी विद्यालय द्वारा, राज्य/जिला समिति या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए सभी पंजियों, खाते और अभिलेख अपने परिसर में रखे जाएंगे।
- (3) विभिन्न मदों में प्राप्तियों और व्यय से संबंधित सभी वाउचर के साथ निजी विद्यालय द्वारा संधारित किए गए खाते को, जब तक कि खाते का अंकेक्षण नहीं हो जाता है तथा आपत्तियां यदि कोई हैं, उनके समाधान होने तक अथवा सात वर्ष की कालावधि तक जो भी अधिक हो, प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा संरक्षित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अन्य सुसंगत अभिलेख, जैसा राज्य शासन उचित समझे, नियत की गई कालावधि तक प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा संरक्षित किए जाएंगे।
- (4) (क) निजी विद्यालय द्वारा, अधिनियम और नियमों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित पंजी और अभिलेख का संधारण किया जाएगा, अर्थात् -
- (एक) प्रवेश पंजी,
- (दो) फीस संग्रह पंजी,
- (तीन) सभी सुसंगत लेजर के साथ रोकड़ बही,
- (चार) कर्मचारीवृंद वेतन पंजी,
- (पांच) चैक पंजी,
- (छ) भण्डार पंजियां,
- (सात) संपत्ति पंजी,
- (आठ) विद्यालय प्रबंधन की बैठकों के कार्यवाही विवरण,
- (नौ) ऐसे अन्य पंजी अथवा अभिलेख जैसा कि शासन द्वारा समय समय पर निर्देशित किया जाए।
- (ख) प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रबंधन/न्यास अथवा निजी विद्यालय के प्राधिकृत व्यक्ति, खाते, अभिलेख, पंजियों इत्यादि के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (ग) नियम 5 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट खाते के माध्यम से प्रबंधन, शैक्षणिक और गैरशैक्षणिक कर्मचारीवृंद, हाउसकीपिंग इत्यादि से संबंधित सभी प्रकार के व्यय प्रभारित किए जाएंगे।
- (घ) शैक्षणिक और गैरशैक्षणिक कर्मचारीवृंद सदस्यों के वेतन और भत्ते के भुगतान ऊपर उल्लेखित बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित किए जाएंगे।
- 13. दिशा निर्देश जारी करने की शक्ति :-**
- राज्य सरकार को इन नियमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में आने वाले किसी भी मुद्दे या कठिनाइयों का निवारण करने के लिए अथवा इन नियमों के क्रियान्वयन के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होने पर, दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।

प्ररूप-एक

(नियम 3(1)(एक) एवं 3(2)(एक) देखिए)

विद्यालय संबंधी सामान्य जानकारी

(विद्यालय की अद्यतन जानकारी नियत प्ररूप में प्री फिल्ड रूप से पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे संबंधित निजी विद्यालय द्वारा अद्यतन कर लॉक किया जाएगा तथा इस जानकारी को प्रत्येक सत्र के लिए अपडेट किया जाएगा)

विद्यालय की जानकारी का प्रारूप दृष्टिगत होगा**प्ररूप-दो**

(नियम 3(1)(दो) एवं 3(2)(दो) देखिए)

(प्रथम बार पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के संपरीक्षित लेखों की प्रतियां अपलोड की जाए तथा वर्तमान सत्र से प्रतिवर्ष संपरीक्षित लेखें संबंधी जानकारी दर्ज व अपलोड की जाए)

तालिका क्रमांक-1, प्रथम बार प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

अनुक्रमांक	विद्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष	संपरीक्षित लेखों की प्रति अपलोड करे
(1)	(2)	(3)	(4)
1		2017-18	हाँ/ लागू नहीं
		2018-19	हाँ/ लागू नहीं
		2019-20	हाँ/लागू नहीं

तालिका क्रमांक-2, प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

अनुक्रमांक	विद्यालय का नाम	विगत वित्तीय वर्ष.....संपरीक्षित लेखों की प्रति अपलोड करे	चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित बजट प्राक्कलन की सत्यापित प्रति अपलोड करें
(1)	(2)	(3)	(5)
1		हाँ	हाँ

प्ररूप-तीन

(नियम 3(2)(चार) देखिए)

प्रस्तावित फीस संरचना सत्र 20- 20

द्वारा :

आवेदक का नाम,
विद्यालय का पता पिनकोड सहित
टेलीफोन नंबर (कार्याः)
मेल आईडी :
डाईस कोड :

प्रति,

कलेक्टर एवं अध्यक्ष,
फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति,
जिला-----।

विषय : शैक्षणिक सत्र..... के लिए ----- विद्यालय हेतु प्रस्तावित फीस संरचना ।
श्रीमान/श्रीमती,

मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुरार (न्यास/समिति/उपक्रम का नाम) द्वारा संचालित विद्यालय की शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना, परिशिष्ट-I अनुसार संलग्न है।

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा अपने संकल्प संख्या क्रमांक..... दिनांक द्वारा शैक्षणिक सत्र के लिए उपर्युक्त फीस संरचना का निर्धारण किया गया है जिसे जिला समिति की जानकारी हेतु एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. प्रक्रिया फीस रूपये का ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया गया है।

4. विद्यालय प्रबंधन का प्रस्ताव है कि :-

(क) आगामी शैक्षणिक सत्रमें विगत शैक्षणिक सत्र की तुलना में फीस में कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं है।
अथवा

(ख) विगत शैक्षणिक सत्र की तुलना में इस शैक्षणिक सत्र..... की फीस प्रतिशत बढ़ाई जाए।

5. मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम, 2020 के सभी प्रावधानों को हमारे द्वारा पढ़ और समझ लिया गया है तथा जिसका पालन करने के लिए विद्यालय प्रबंधन बाध्य है।

6. विद्यालय के संपरीक्षित लेखों संबंधी जानकारी, अनुमानित बजट प्राक्कलन एवं अन्य जानकारी, अभिलेख और साक्ष्य जो उक्त नियमों के अधीन आवश्यक है, पोर्टल पर दर्ज व अपलोड कर दिए गए हैं।

7. उक्त नियमों के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाला आवश्यक वचन पत्र परिशिष्ट -II अनुसार संलग्न है।

भवदीय

()

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक/ संचालक/ प्रबंधक/ न्यासी
विद्यालय/ न्यास/समिति/उपक्रम का नाम

नोट:- उपर्युक्त प्ररूप में आवश्यक जानकारी अंकित कर हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित उपरांत निजी विद्यालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड की जाए।

1. प्रस्तावित फीस संरचना - शैक्षिक सत्र

अनुक्र मांक	प्रभाग पूर्व प्राथमिक/ प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक (प्रवर्गवार)	प्रति विद्यार्थी प्रस्तावित वार्षिक फीस आगामी सत्र.....	प्रति विद्यार्थी वार्षिक फीस विगत सत्र.....	प्रति विद्यार्थी वार्षिक फीस में वृद्धि/कमी प्रतिशत में	अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के क्रम में फीस वृद्धि का औचित्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शिक्षण फीस				(अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) अनुसार विकल्प ड्राप-डाउन उपलब्ध रहेंगे)
2	पुस्तकालय फीस				
3	वाचनालय फीस				
4	खेल फीस				
5	प्रयोगशाला फीस				
6	कंप्यूटर फीस				
7	कॉशन मनी				
8	परीक्षा फीस				
9	अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिये फीस जैसे- राष्ट्रीय पर्व, वार्षिक उत्सव, खेलकूद स्पर्धा				
10	प्रवेश फीस				
11	पंजीकरण, विवरण पत्रिका, प्रवेश आवेदन प्ररूप के लिये फीस				
12	अन्य कोई राशि जिसका संदाय किया जाना छात्र के लिये आज्ञापक(Mandatory) हो				
13	छात्रों द्वारा संदेय कोई अन्य राशि जो सरकार द्वारा विहित की जाए				
14	परिवहन फीस				
	कुल फीस				

(कृपया विभागवार, प्रवर्गवार पृथक-पृथक सीट संलग्न करें।)

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी जानकारी मेरे संज्ञान एवं विश्वास अनुसार सही है और इन्हें विद्यालय के मूल अभिलेखों से सत्यापित किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अनुक्रम में फीस में वृद्धि के फलस्वरूप, जिस वर्ष के लिए फीस वृद्धि प्रस्तावित है, उस वर्ष के प्रस्तावित व्यय के आधार पर वार्षिक प्राप्तियों पर अधिशेष 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

भवदीय

()

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/ संचालक/ प्रबंधक/ न्यासी
विद्यालय/ न्यास/समिति/उपक्रम का नाम

परिशिष्ट-II

वचन पत्र

मैं, प्राधिकृत व्यक्ति, श्री/सुश्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु
.....निवासी प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/संचालक/प्रबंधक/न्यासी की

हैसियत से, एतद्वारा यह वचन देता हूँ कि -

- (एक) प्ररूप-1 में दर्शाये गये विवरण तथा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत साक्ष्य मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही हैं।
(दो) प्ररूप-2 के माध्यम से प्रस्तुत लेखों का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षण किया गया है और अनुमानित बजट प्राक्कलन चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हैं।
(तीन) जिला/राज्य समिति द्वारा जो जानकारी अथवा विवरण और साक्ष्य इत्यादि चाहा जाएगा, उसे नियत समय सीमा में प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।
(चार) फीस तथा संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिए जिला/राज्य समिति के निर्देशों का अनुपालन करूंगा/करूंगी।
(पांच) निजी विद्यालय का प्रबंधन या उसकी ओर से अधिकृत व्यक्ति इन नियमों के उपबंधों के अधीन विनिश्चित फीस से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा तथा किसी छात्र, माता पिता या अभिभावक से किसी भी नाम से कोई दान या प्रति व्यक्ति (केपिटेशन) फीस प्राप्त नहीं करेगा।
(छह) विद्यालय प्रबंधन द्वारा एकत्रित अतिरिक्त फीस, यदि कोई है, तो जिला/राज्य समिति द्वारा नियत कालावधि के भीतर संबंधित छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों जैसी भी स्थिति हो, को प्रतिदाय (वापस) की जाएगी।
(सात) प्रस्ताव के साथ संलग्न आय एवं व्यय विवरण मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

- (2) मैं अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करने हेतु आश्वस्त करता/करती हूँ।
(3) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि न तो मैंने किसी महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है, और न ही झूठी या गलत जानकारी दी है।

स्थान :

तारीख.....

भवदीय

()

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक/ संचालक प्रबंध न्यास

प्राधिकृत अधिकारी / व्यक्ति

विद्यालय का नाम

न्यास/समिति/उपक्रम का नाम

प्ररूप-चार

(नियम 4 (4)(छ) देखिए)

(मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के तहत फीस निर्धारित करने संबंधी जिला समिति का आदेश)

क्र..... दिनांक
फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमित हेतु
जिला समिति का कार्यालय
जिला :

-: आदेश :-

1. यह कि निजी विद्यालय के प्रबंधन ने फीस संरचना में वृद्धि के प्रस्ताव को प्ररूप-3 में दिनांक को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के वचनपत्र के साथ मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के अधीन मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 3 के उपनियम (2)के खण्ड (चार) के तहत प्रस्तुत किया है।
2. यह कि उपरोक्तानुसार फीस वृद्धि संबंधी प्रस्ताव का फीस वृद्धि के औचित्यों के संदर्भ में परीक्षण किया गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में फीस वृद्धि पर विचार किया गया।
3. यह कि प्रकरण के संबंध में निजी विद्यालय प्रबंधन/उस विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी/पालक अथवा अभिभावक को दिनांक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। (सुनवाई की स्थिति न होने पर यह बिन्दु शामिल न किया जाए)
4. अतः अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियम 2020 के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस आदेश में नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन,
जिला समिति, एतद्द्वारा निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना पर सहमति प्रदान करती है।

अथवा

जिला समिति, एतद् द्वारा निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रभाषित की जाने वाली फीस का, संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार, निर्धारण करती है।

शर्तें (जो भी लागू हों) :

- एक. मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 4 के उपनियम (8) के अनुसरण में निजी विद्यालय प्रबंधन कडिका-4 अनुसार नियत की गई फीस संरचना हिंदी और अंग्रेजी भाषा में विद्यालयीन सूचना-पटल एवं उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जनसामान्य के सूचनार्थ प्रदर्शित करेगा।
- दो. मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 4 के उपनियम (9) के अनुसरण में निजी विद्यालय का प्रबंधन या उसकी तरफ से अधिकृत कोई व्यक्ति उपर्युक्त कडिका-4 अनुसार विनिश्चित फीस से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा। किसी छात्र, माता पिता या अभिभावक से किसी भी नाम से कोई दान या प्रति व्यक्ति (केपिटेशन) फीस प्राप्त नहीं करेगा।
- तीन. मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 4 के उपनियम (10) के अनुसरण में यदि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपर्युक्त कडिका-4 अनुसार विनिश्चित फीस से अधिक फीस संग्रहित की गई है, तो वह 30 कार्यदिवस की कालावधि के भीतर यथास्थिति, संबंधित छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों, को प्रतिदाय (वापस) की जाएगी।

अथवा

मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 4 के उपनियम (11) के अनुसरण में उपर्युक्त कडिका-4 अनुसार विनिश्चित फीस यदि विद्यालय द्वारा संग्रहित फीस से अधिक है तो ऐसी स्थिति में फीस की अंतर राशि..... दिन (समयसीमा) के भीतर यथास्थिति, छात्र, पालक अथवा अभिभावक, विद्यालय प्रबंधन को वापस करेंगे।

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन के लिए
जिला समिति के आदेश के अनुसार

(नाम)

जिला शिक्षा अधिकारी एवं
सदस्य सचिव
जिला.....

परिशिष्ट-एक

पूर्व-प्राथमिक / प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक
(विज्ञान/वाणिज्य/मानविकी/कृषि/अन्य संकाय) विद्यालय के लिए फीस का निर्धारण:-
(प्रत्येक वर्ग व संकायवार पृथक्-पृथक् तैयार की जाए)

क्र.	वर्ग/संकाय		विद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रति विद्यार्थी फीस	जिला समिति द्वारा निर्धारित प्रति विद्यार्थी फीस
(1)	(2)		(3)	(4)
1	पूर्व प्राथमिक	कक्षावार		
2	प्राथमिक	कक्षावार		
3	माध्यमिक	कक्षावार		
4	उच्च माध्यमिक	कक्षावार		
5	उच्चतर माध्यमिक (विज्ञान/ वाणिज्य/ मानविकी/ कृषि/अन्य संकाय)	कक्षावार		

जिला शिक्षा अधिकारी एवं
सदस्य सचिव
जिला.....

प्ररूप-पांच (एक)
(नियम 4 (6) देखिए)

(मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के तहत फीस निर्धारित करने संबंधी राज्य समिति का आदेश)

क्र..... दिनांक
फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमित हेतु
राज्य समिति का कार्यालय
गौतम नगर, म.प्र., भोपाल

-: आदेश :-

1. यह कि निजी विद्यालय के प्रबंधन ने फीस संरचना में वृद्धि के प्रस्ताव को प्ररूप-3 में दिनांक को अधिकृत व्यक्ति के वचनपत्र के साथ मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के अधीन मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (चार) के तहत प्रस्तुत किया है।
2. यह कि उपरोक्तानुसार फीस वृद्धि प्रस्ताव नियम 2020 के नियम, 4 के उपनियम (3) के अनुक्रम में फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु अधिकृत जिला समिति द्वारा अपने अभिमत सहित राज्य समिति के विचारार्थ प्रेषित किया गया है।
3. यह कि उपरोक्तानुसार फीस वृद्धि संबंधी प्रस्ताव का फीस वृद्धि के औचित्यों के संदर्भ में परीक्षण किया गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में फीस वृद्धि पर विचार किया गया।
4. यह कि प्रकरण के संबंध में निजी विद्यालय प्रबंधन/उस विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी/पालक अथवा अभिभावक को दिनांक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। (सुनवाई की स्थिति न होने पर यह बिन्दु शामिल न किया जाए)
5. अतः अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियम, 2020 के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस आदेश में नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, राज्य समिति, एतद् द्वारा, निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना पर सहमति प्रदान करती है।

अथवा

राज्य समिति, एतद् द्वारा, निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस का, संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार, निर्धारण करती है।

शर्तें (जो भी लागू हों) :

- एक. मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 4 के उपनियम (8) के अनुसरण में निजी विद्यालय प्रबंधन उपर्युक्त कडिका-5 द्वारा नियत की गई फीस संरचना हिंदी और अंग्रेजी भाषा में विद्यालयीन सूचना-पटल एवं उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जनसामान्य के सूचनार्थ प्रदर्शित करेगा।
- दो. मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 4 के उपनियम (9) के अनुसरण में निजी विद्यालय का प्रबंधन या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति उपर्युक्त कडिका-5 अनुसार विनिश्चित फीस से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा। किसी छात्र, माता पिता या अभिभावक से किसी भी नाम से कोई दान या प्रति व्यक्ति (केपिटेशन) फीस प्राप्त नहीं करेगा।
- तीन. मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 4 के उपनियम (10) के अनुसरण में यदि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपर्युक्त कडिका-5 अनुसार विनिश्चित फीस से अधिक फीस संग्रहित की गई है, तो वह 30 कार्यदिवस की कालावधि के भीतर संबंधित छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों को प्रतिदाय (वापस) की जाएगी।

अथवा

मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 4 के उपनियम (11) के अनुसरण में उपर्युक्त कडिका-5 अनुसार विनिश्चित फीस यदि विद्यालय द्वारा संग्रहित फीस से अधिक है तो ऐसी स्थिति में फीस का अंतर..... दिन के भीतर छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन को वापस की जाएगी।

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन के लिए
राज्य समिति के आदेश के अनुसार
(नाम)

संचालक एवं सदस्य सचिव
लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल

परिशिष्ट-ए

पूर्व-प्राथमिक / प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक
(विज्ञान/वाणिज्य/मानविकी/कृषि/अन्य संकाय) विद्यालय के लिए फीस का निर्धारण:-
(प्रत्येक वर्ग व संकायवार पृथक-पृथक तैयार की जाए)

क्र.	वर्ग/संकाय	विद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रति विद्यार्थी फीस	राज्य समिति द्वारा निर्धारित प्रति विद्यार्थी फीस
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पूर्व प्राथमिक कक्षावार		
2	प्राथमिक कक्षावार		
3	माध्यमिक कक्षावार		
4	उच्च माध्यमिक कक्षावार		
5	उच्चतर माध्यमिक (विज्ञान/ वाणिज्य/ मानविकी/ कृषि/अन्य संकाय)		

संचालक एवं सदस्य सचिव
लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल

प्ररूप-पांच (दो)
(नियम 11 (4) देखिए)

(मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के तहत अपील पर विनिश्चय उपरांत फीस निर्धारित करने संबंधी राज्य समिति का आदेश)

क्र..... दिनांक
फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमित हेतु
राज्य समिति का कार्यालय
गौतम नगर, भोपाल, म.प्र.

—: आदेश :-

1. यह कि निजी विद्यालय के प्रबंधन ने फीस संरचना में वृद्धि के प्रस्ताव को प्ररूप-3 में दिनांक को अधिकृत व्यक्ति के वचनपत्र के साथ मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के अधीन मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 3 के उपनियम (2)(चार) के तहत जिला समिति को प्रस्तुत किया।
2. यह कि उपरोक्तानुसार फीस वृद्धि प्रस्ताव पर, नियम, 2020 के नियम 4 के उपनियम (3) के अनुक्रम में फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु अधिकृत जिला समिति द्वारा दिनांक को विनिश्चय कर निर्णय पारित किया गया। उक्त पारित निर्णय से व्यथित होकर नियम 11 के उपनियम (1) के तहत दिनांक..... को इस कार्यालय को अपीलीय आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिस पर विचार किया जा रहा है।
3. यह कि उपरोक्तानुसार अपील में वर्णित फीस वृद्धि संबंधी प्रस्ताव का फीस वृद्धि के औचित्यों के संदर्भ में परीक्षण किया गया। विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में फीस वृद्धि पर विचार किया गया।
4. यह कि अपील के संबंध में निजी विद्यालय प्रबंधन/उस विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी/पालक अथवा अभिभावक को दिनांक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। (सुनवाई की स्थिति न होने पर यह बिन्दु शामिल न किया जाए)
5. अतः, अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियम, 2020 के प्रावधानों के तहत प्रदान की गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस आदेश में नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, राज्य समिति, एतद्वारा प्रस्तुत अपील को विचारोपरांत उचित मान्य करते हुए निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित फीस संरचना पर सहमति प्रदान करती है।

अथवा

राज्य समिति, एतद्वारा, निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अपील को विचारोपरांत अमान्य करते हुए जिला समिति द्वारा विनिश्चय की गई फीस संरचना पर सहमति प्रदान करती है।

अथवा

राज्य समिति, एतद्वारा प्रस्तुत अपील पर विचारोपरांत निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस का, संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार, निर्धारण करती है।

शर्तें (जो भी लागू हों) :

- एक. मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 4 के उपनियम (8) के अनुसरण में निजी विद्यालय प्रबंधन उपर्युक्त कडिका-5 द्वारा नियत की गई फीस संरचना हिंदी और अंग्रेजी भाषा में विद्यालयीन सूचना-पटल एवं उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जनसामान्य के सूचनार्थ प्रदर्शित करेगा।
- दो. मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 4 के उपनियम (9) के अनुसरण में निजी विद्यालय का प्रबंधन या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति उपर्युक्त कडिका-5 अनुसार विनिश्चित फीस से अधिक फीस संग्रहित नहीं करेगा। किसी छात्र, माता पिता या अभिभावक से किसी भी नाम से कोई दान या प्रति व्यक्ति (केपिटेशन) फीस प्राप्त नहीं करेगा।
- तीन. मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 4 के उपनियम (10) के अनुसरण में यदि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपर्युक्त कडिका-5 अनुसार विनिश्चित फीस से अधिक फीस संग्रहित की गई है, तो वह 30 कार्यदिवस की कालावधि के भीतर संबंधित छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों को प्रतिदाय (वापस) की जाएगी।

अथवा

मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 4 के उपनियम (11) के अनुसरण में उपर्युक्त कडिका-5 अनुसार विनिश्चित फीस यदि विद्यालय द्वारा संग्रहित फीस से अधिक है तो ऐसी स्थिति में फीस की अंतर राशि..... दिन के भीतर छात्रों, पालकों अथवा अभिभावकों के द्वारा विद्यालय प्रबंधन को वापस की जाएगी।

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन के लिए
राज्य समिति के आदेश के अनुसार

(नाम)

संचालक एवं सदस्य सचिव
लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल

परिशिष्ट-एक

पूर्व-प्राथमिक / प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक
(विज्ञान / वाणिज्य / मानविकी / कृषि / अन्य संकाय) विद्यालय के लिए फीस का निर्धारण:-
(प्रत्येक वर्ग व संकायवार पृथक-पृथक तैयार की जाए)

क्र.	वर्ग / संकाय	विद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्रति विद्यार्थी फीस	राज्य समिति द्वारा निर्धारित प्रति विद्यार्थी फीस
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पूर्व प्राथमिक कक्षावार		
2	प्राथमिक कक्षावार		
3	माध्यमिक कक्षावार		
4	उच्च माध्यमिक कक्षावार		
5	उच्चतर माध्यमिक (विज्ञान / वाणिज्य / मानविकी / कृषि / अन्य संकाय)		

संचालक एवं सदस्य सचिव
लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल

प्ररूप-छह

(नियम 6(2) देखिए)

(निजी विद्यालय द्वारा 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र निम्न प्ररूप अनुसार तैयार कर ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा)

शपथ पत्र

(विद्यालय का नाम) शहर/कस्बा ब्लॉक जिला विद्यालय डाईस कोड न्यास/समिति/उपक्रम द्वारा संचालित है।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि विद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 6 के उपनियम (1) में उल्लिखित प्रावधानों का पालन किया गया है, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में,

- I. पाठ्यपुस्तक
- II. स्टेशनरी
- III. पठन सामग्री
- IV. विद्यालय का बस्ता
- V. गणवेश
- VI. खेलकूद किट
- VII. परिवहन
- VIII. अन्य कोई.....

वचनपत्र

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता (नाम) (आयु : वर्ष), (व्यवसाय का उल्लेख करें, विद्यालय/न्यास/उपक्रम नाम और पता) प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रबंध न्यास/अधिकृत अधिकारी की हैसियत से (विद्यालय का नाम लिखें) : शहर/कस्बा..... विद्यालय कोड एतद्वारा सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त अनुच्छेदों में किए गए कथन मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं और विद्यालय के अभिलेख के आधार पर दिए गए हैं। मेरे द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है और न ही किसी गलत जानकारी को प्रस्तुत किया गया है। मुझे ज्ञात है कि झूठे शपथ पत्र तैयार करना एक दंडनीय अपराध है।

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रबंधक/न्यासी/
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
विद्यालय का नाम :
न्यास/उपक्रम/समिति का नाम :

स्थान :
तारीख :

इनके समक्ष पुष्टि की गई
नाम और पता :-

No. F-37-4-2017-XX-3.- In exercise the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2017 (No. 6 of 2018) the State Government, hereby, makes the following rules for regulation of fees and related issues, which has been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra Ordinary, dated 26th June, 2018, namely :-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Rule, 2020.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in official Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires—
 - (a) "**Academic session**" means an academic session as notified by the competent authority or the Central Board of Secondary Education or other recognized board including international board;
 - (b) "**Act**" means the Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2017;
 - (c) "**Authorized signatory**" means a person who is a Principal/HeadMaster/Director/Manager/Trustee, authorized to sign documents such as containing an undertaking or affirmation or other relevant information required to be submitted by a private school under these rules;
 - (d) "**Commissioner**" means the Commissioner, Public Instruction, Madhya Pradesh;
 - (e) "**Director**" means Director, Public Instruction, Madhya Pradesh;
 - (f) "**District Committee**" means the District Level Committee constituted for regulation of fees and related issues under Section 7 of the Act;
 - (g) "**Format**" means the format prescribed under these rules;
 - (h) "**Portal**" means the official web portal designated by the School Education Department for the purpose of the Act and the implementation of these rules;
 - (i) "**School Education Department**" means the School Education Department of the Government of Madhya Pradesh;
 - (j) "**State Committee**" means a State Level Committee constituted for regulation of fees and related issues under sub-section (1) of section 11 of the Act.
- (2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Submission of General information & Accounts and procedure for submission of proposal.-

(1) **Preliminary Information** - Each private school shall within 90 days of the notification of these rules, enter or upload, as the case may be, the following information and records on the portal-

(One) **General information of the school** - Updated information of each private school shall be available pre-filled on the portal as per the format-I, which shall be updated, verified and uploaded by the Authorized Signatory, as defined in sub-section (1)(C) of section 2 of the concerned private school.

(Two) **Information pertaining to the audited accounts** - Each private school shall upload copies of audited accounts for three financial years, preceding the year of notification of these rules, as per format-II on the portal. Audited account shall include Balance sheet, Receipt payment statement, Income Expenditure Account with schedule and audit report.

(2) **Information to be submitted every year**- 180 days before the commencement of the upcoming academic session every year, management of each private school shall enter or upload, as the case may be, the following information and documents on the portal: -

(One) In case of a change in general information submitted under Sub clause (one) of clause (1) of sub-rule (3) related to the school, the information as per format-I shall be updated and verified.

(Two) The audited accounts of the last financial year as per format-II, |

(Three) An attested copy of the budget estimated for the current financial year, as per format-II.

(Four) The proposed fee structure for the upcoming academic session as per format-III. The amount payable against the items of fees shall be mentioned in the proposed fee structure, as per the sub-section (1) of section 3 of the Act. Along with the said proposed fee structure, such online process fee shall be submitted, as determined by the Department. If the increase in fee in the proposed fee structure is 10% or less than 10% as compared to the fees of the previous academic session, then the proposed fee structure for the upcoming academic session may be uploaded on the portal up to 90 days before the commencement of the session.

(3) As per sub-section (4) of the section 4 of the Act, a separate account will be maintained by the department for the collection of process fee. This account will be operated jointly by the Director Public Instruction or Additional Director Public Instruction and Joint Director(Finance) Public Instruction. Each Private school will deposit the prescribed process fee in this account online, along with the proposed fee structure.

(4) In the event of non-submission of proposed fee structure within the stipulated time by the Private school as per sub-rule (2), the District Committee may impose such penalty on the private school concerned as may be determined by the Department.

4. Examination of the proposed fee structure and the procedure of decision making by the District/State Committee on the proposal.-

(1) If the increment in fee by a private school in the proposed fee structure under Sub clause (four)) of clause (2) of sub-rule (3) is 10% or less than 10% as compared to the fees of the previous academic session, then the private school will be competent to increase such proposed fee. In such a situation the proposal submitted by the private school in Form-III will be treated as deemed informed and admitted by the District Committee. No separate order will be required to be issued by the District Committee in this regard.

(2) If the increment in fee by a private school in the proposed fee structure under Sub clause (four)) of clause (2) of sub-rule (3) is more than 10% but up to 15% or less as compared to the fee of the previous academic session, then the District Committee will take decision on the proposed fee structure within 45 working days.

(3) If the increment in fee by a private school in the proposed fee structure under Sub clause (four)) of clause (2) of sub-rule (3) is more than 15% as compared to the fees of the previous academic session, then the District Committee will forward the said proposal with its clear opinion to the State Committee within 07 working days.

(4) The District Committee will take following action to decide proposed fee structure:-

(A) Examine the information and documents presented with the proposal and shall ensure that the proposed fee structure is in accordance with sub-section (2) of section 3 and sub-section (3) of section 5 of the Act.

(B) May avail the services of a chartered accountant to examine the fee structure submitted by the private school and the points arising in the processes of decision making on proposed fee structure, as determined by the committee. The department will issue necessary guidelines from time to time regarding the selection of district wise Chartered Accountants and the fee to be paid to them.

(C) May ask the management of the private school for such additional information or evidence as it deems necessary to decide on the proposed fee structure.

(D) May direct an officer not below the rank of Assistant Director, Public Instructions, for the physical verification of information or facts in the documents submitted with the proposal.

(E) Shall provide an opportunity of hearing to the school management before deciding on the proposed fee structure. If necessary, students of the concerned school or their parents or guardians may also be given a reasonable opportunity of hearing.

(F) The 45 working days deadline will be binding on the District Committee to decide on the proposed fee structure. The time taken by the private school under sub-rule (4)(c) will not be taken into account in computing this time period.

(G) The District Education Officer shall inform the concerned school electronically in Form-IV, the decision passed by the District

Committee. The online order will be deemed to have been served properly for each purpose.

(5) The provisions of sub-rules clause (A) of sub-rule (4) upto clause (G) of sub-rule (4) shall *mutatis-mutandis* apply to the State Committee with necessary changes.

(6) The State Committee will take decision on the proposed fee structure as per sub-rule (3) within 45 working days. This deadline will be binding on the State Committee. The time taken by the private school under sub-rule (4)(c), if any, will not be taken into account in computing this time period.

(7) The Director, Public Instructions shall inform the concerned school electronically in Form-V(one), the decision passed by the State Committee. The online order will be deemed to have been served properly for each purpose.

(8) The private school management shall display the fees structure as decided under sub-rule (1) or as decided by the District Committee under clause (G) of sub-rule (4) or decided by State Committee under sub-rule (6), in Hindi and English language for the information of the public on school notice board and its official website.

(9) The management of a private school or any person authorized on its behalf shall not collect fee in excess of the prescribed fee under the provisions of this rule. No donation or per capita (capitation) fee in any name shall be received from a student, parent or guardian. The complaints received in this regards may be disposed of as per the provisions specified in rule 9.

(10) If the fee is collected in excess of the prescribed under the provision of this rule will be refunded by the private school management to the concerned students, parents or guardians, as the case may be, within a period of 30 working days from the date of decision by the District Committee or the State Committee, as the case may be. Information regarding refund made will be given by the concerned school to the District or State Committee as the case may be.

(11) If the fees decided by the District or State Committee, as the case may be, is more than the fees collected by the school, then in such case the arrear of the difference amount of fee will be payable by the students/parents to the school management within reasonable time, as specified by the concerned District or State Committee in its order.

5. Bank account for deposit of fees and expenses incurred. -

(1) Every private school shall have a bank account, which will be designated by private school for deposition of fee. Necessary information about the process of depositing of fees and the details of bank account will be provided at the time of admission by private school to students, parents or guardians. This information will also be displayed on the notice board of the school and its official website.

(2) Fee may be paid by the parents or guardians through online process or offline means, such as cash, cheque etc. The amount of fees received by private school will be deposited in the designated bank account as per sub-rule (1).

(3) The private school shall provide a receipt to the parents or guardians for the fees deposited by them. The receipt of the fees deposited online will be provided after verification of the said payment from the bank account.

(4) All transactions by private school management will be carried out through designated account as per sub-rule (1). Cash withdrawal and disbursement will be practiced under the provisions of sub section (3) section 40A of the Income Tax Act 1961.

6. Regulation of related issues.-

(1) The related issues will be regulated in the following manner, namely:-

(A) Information regarding the date of commencement and process of admission, textbooks, stationery, reading material, school bags, uniforms, sports kits etc. used in the school, transportation facility; the details of fee or the amount collected directly or indirectly by the private school management will be displayed on the school notice board and on the official website.

(B) The private school will provide necessary information regarding obtaining school prospectus and application form on the notice board and official website of the school. For this, if any payment is required to be made by the parents it will be clearly described.

(C) The prescription of textbooks by the private school management will be decided according to the regulation of the affiliation board or examination body to which it is affiliated.

(D) The private school management will not force students or parents either formally or informally to purchase books, uniforms, ties, shoes, copies etc. from selected vendors only. Students or parents will be free to purchase these materials from open market.

(E) The name of the school will not be mentioned on any course material except the uniforms by the school management.

(F) If any changes in school uniform are made by private school management, it will remain in force for the next three academic sessions. Changes in the uniform can be made only after a period of three years.

(G) The private school management will follow the guidelines issued by the Department of Transport and the Department of School Education from time to time regarding transport facilities.

(H) In the event of the private school management providing transportation facilities to the students, the amount to be paid by the student will be included in the proposed fees structure as per clause (4) of sub-rule (2) of rule 3.

(2) The private school shall abide by the provisions described in sub-rule (1) regarding the relevant issues. An undertaking to this effect will be uploaded every year as per Form-VI.

7. Procedure and functions of the District Committee.-

(1) The Chairperson of the District Committee will preside over the meetings of the District Committee constituted under sub section (1) of section 7 of the Act.

(2) The date, time, place and agenda of the meeting of the District Committee will be decided by the Chairperson. It will be communicated to all members of the District Committee by the member secretary.

(3) The agenda and information of the meeting shall be sent to each member of the District Committee within such time frame and manner as may be fixed by the District Committee.

(4) The quorum of the District Committee meeting shall be a minimum of three members. Presence of Chairperson and Member Secretary shall be mandatory for quorum.

(5) The Member Secretary of the District Committee shall function under the direction of the Chairperson. Member secretary will prepare the proceedings of the meeting and disseminate it to all the members of the committee within 07 days from the date of the meeting.

(6) The decisions of the District Committee and official correspondence will be communicated and issued with the signature of the Member Secretary.

8. Procedure and functions of the State Committee.-

(1) All the provisions of rule 7 shall mutatis mutandis apply to the State Committee with necessary changes.

(2) The State Committee shall decide the appeal submitted by the private school in accordance with rule 11.

(3) The State Committee may reduce or increase or repeal the penalty imposed by the District Committee.

9. Redressal of complaints in respect of fee increment and related issues.

(1) The District Committee will inquire into a complaint, made by a parent or guardian of a student or a student, regarding violation of any provision of Act and these Rules committed by the management of the private school in which the student is studying.

(2) The District Committee may take *suo moto* cognizance of violation of any provision of the Act and these Rules and may investigate the same if necessary .

(3) The District Committee, under sub-section (3) of section 9 of the Act, may authorise any officer not below the rank of Assistant Director Public Instruction to enter the premises of the private school against whom inquiry has been instituted under sub-section (1) and (2) above.

(4) The officer authorized under sub-rule (3) above, shall search, inspect and seize documents which appear necessary and relevant for the conduct of inquiry.

(5) The District Committee for the purpose of making any inquiry shall have the powers of the a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), while trying a suit, in respect of the following matters, namely: -

(A) summoning and forcing the attendance of any witness and examining him on oath;

(B) require the disclosure and production of any document;

(C) receiving evidence on affidavit; and

(D) issue commission for the test of witnesses.

(6) The District Committee shall give a reasonable opportunity of hearing to the management of private school against whom inquiry has been instituted.

(7) On completion of the inquiry regarding increment in fees, under sub-rule (1) and (2), if the District Committee finds that the fee has been collected in excess of that permitted under rule 4, it shall pass an order directing the management of the said private school to refund the same to the students or their parent or guardians from whom it has been collected. The deadline and procedure of refund of excess fees will be mentioned in the order passed.

(8) On completion of the inquiry in relation to the violation of rule 6 or any other provision of the Act and these rules, if the District Committee finds that the management has violated the provisions of the Act and these rules, it shall pass an order directing the management of the private school to refund an amount as determined by it to such students or their parents or guardians from whom it has been collected. The deadline and procedure of refund of excess amount will be mentioned in the order passed.

(9) The District Committee, in addition to the refund order under the sub-rules (7) or (8) above, shall impose a penalty up to rupees two lakhs on the management of said private school where order of refund has been issued for the first time and penalty up to rupees four lakhs where order of refund is issued for the second time and up to rupees six lakhs for subsequent orders of refund.

(10) The District Committee, in addition to imposition of penalty under sub-rule (9) above, may also recommend to the competent authority to suspend or cancel the recognition of the said private school.

(11) If the management of the private school fails to refund the amount as ordered under sub-rule (7) or (8) above, or to pay penalty imposed under sub-rule (9) above, the District Committee shall send a request to the District Collector to recover the said amount as arrears of land revenue.

(12) The amount recovered under sub-rule (11) above, shall be paid to such persons and by such procedure as may be mentioned in the refund order. The penalty amount collected will be deposited in the bank account as per sub-rule (3) of rule 3 fixed for this.

10. Expenditure of amount received from process fee and penalty.-

(1) The amount received as process fee and penalty shall be deposited in the bank account as per sub-rule (3) of rule 3.

(2) The amount received as process fee and penalty will be used as follows: -

(One) Infrastructure development for implementation of e-governance in departmental offices.

(Two) For the availability of necessary infrastructure and IT solutions to promote ICT enabled education in schools.

(Three) For leadership development and soft skill enhancement training for departmental officers, heads of institutions and teachers of government and private schools.

(Four) Exposure visits of departmental officers, institution heads and teachers to study innovations in the field of ICT and quality education in the country and abroad.

(Five) For the execution of such task or topics as may be considered essential from time to time by Commissioner Public Instruction.

11. Disposal of appeal.-

(1) A private school aggrieved by the order of the District Committee passed as per clause (G) of sub-rule (4) of rule 4 may appeal to the State Committee within 15 working days from the date of receipt of such order. For this, a fee of Rs. 2500/- shall be deposited online in the account specified in sub-rule (3) of rule 3.

(2) In the event of delay in filing the appeal, the private school may submit the appeal application within next 10 working days from the last date of applying for appeal with the reasons for delay and Rs. 5000/- as late fee which has to be deposited online in the account specified in sub-rule (3) of rule 3. In case the State Committee agrees to the reason for delay, the appeal application shall be considered as per the prescribed procedure.

(3) The State Committee may obtain records relating the action taken by the District Committee in the matter and such additional information from the appellant as it deems necessary for the disposal of the appeal.

(4) The State Committee, after taking into consideration all the factors related to the case and giving a opportunity of hearing to the concerned parties, shall decide the appeal by passing speaking order as per Form-V (two).

(5) The State Committee will decide the appeal within 45 working days from the date of receipt of the appeal application. The decision of the State Committee shall be final and binding.

12. Maintenance of accounts and records.- (1) Every private school shall maintain the accounts in the following manner, namely: -

(A) Each private school shall maintain all the relevant accounts and transaction records.

(B) Certificates relating to Tax Deducted at Source (TDS) for salaries of academic and non-academic staff.

(C) Expenditure incurred towards the concerned trust or affiliated/holding/subsidiary company having the same trustees/directors/members or relatives/society/society member.

(2) The private school will keep all the registers, accounts and records on its premises for inspection by the State / District Committee or Authorized Officer.

(3) The account maintained by the private school together with all the vouchers relating to various items of receipts and expenditure will be preserved by that school till the audit of account is over and objections raised, if any, are settled or till a period of seven years, whichever is later. Apart from this, other relevant records as the State Government deems appropriate will be preserved by the private school for the period fixed.

(4) (a) The private school will maintain the following registers and records for the purposes of the Act and the Rules, namely:-

- (i) Admission register;
- (ii) Fee collection register;
- (iii) Cash books and all relevant ledgers;
- (iv) Staff payroll register;
- (v) Cheque register;

- (vi) Stock registers;
- (vii) Asset register;
- (viii) Minute book of school management meetings;
- (ix) Such other register or records as may be directed by the Government from time to time.

(B) The Principal/Headmaster/Manager/Trustee or the authorized person of private school, shall be responsible for the maintenance of accounts, records and registers.

(C) All expenditure towards management, teaching and non-teaching staff, housekeeping etc. will be incurred from the account specified in sub-rule (1) of rule 5.

(D) Payments of salary and allowances of academic and non-academic staff members will be credited directly from the aforesaid bank account electronically to their bank accounts.

13. **Power to issue guidelines.-**

The State Government shall have the power to redress any issues or difficulties encountered in the process of implementation of these rules or to issue guidelines, if any question arises regarding the implementation of these rules.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.के. द्विवेदी, उपसचिव.

Form-I**(See rule 3 (1) (one) and 3 (2) (one))****General information of school**

(update information of school shall be made available in the prescribed format on the portal in the pre-filled form which shall be updated and locked by the concerned private school and this information shall be updated for each session)

School Information format shall be seen here

Form-II**(See rule 3 (1) (two) and 3 (2) (two))**

(For the first time, copies of the audited accounts of the preceding three financial years should be uploaded and from the current session information related to the audited accounts should be recorded and uploaded every year)

Table No. 1:- Information to be presented for the first time

Serial No.	Name of the school	Financial year	Upload the copy of the audited Accounts
(1)	(2)	(3)	(4)
		2017-18	Yes/ Not Applicable
		2018-19	Yes/ Not Applicable
		2019-20	Yes/ Not Applicable

Table No. 2:- Information to be presented annually

Serial Number	School Name	Upload the copy of audited accounts for the last financial year	Upload a verified copy of the provisional budget estimate for the current financial year
(1)	(2)	(3)	(4)
		Yes	Yes

Form-III
(See rule 3 (2) (four))

Proposed Fee Structure Session 20 ..- 20 ..

By :

Name of applicant,
School Address with PIN Code
Telephone Number (Office)
E-Mail ID:
DISE Code:

To,

The Collector and President,
District Committee for Regulation of Fee and Related Issues
District-----.

Subject: Proposed Fee structure for Academic Session
.....For..... School.

Mr. /Mrs,

As per the provisions of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2017, the proposed fee structure for the academic session..... of the school managed by (Trust/Committee/Enterprises name) as per appendix -I is attached.

2. The school management has, by its resolution number date decided the fee structure as above for academic session..... .. to be presented for information and consideration of District Committee.

3. The online payment of process fees of Rs has been made through the portal.

4. School Management proposes that: -

(A) No increase in the fees for forthcoming academic session..... is proposed as compared to the previous academic session.

Or

(B) The fee for forthcoming academic session..... has to be increased by ___ percent as compared to the previous academic session.

5. All the provisions of the Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2017 and Rules 2020 made thereunder have been read and understood by us and which the school management is obliged to follow.

6. Information related to the audited accounts of the school, provisional budget estimate and other information, records and evidences which are required under the said rules have been entered and uploaded on the portal.

7. The required undertaking to be produced under the above rules is attached as per Appendix-II.

Yours faithfully

()

Authorized Signatory
Principal/Headmaster/Director/
Manager/Trustee
Name of the

school/Trust/Committee/Enterprises

Note: - After signing and stamping the required information in above format, has to be uploaded on the portal by the private school.

Appendix-I

1. Proposed Fee Structure - Academic session

No.	Division Pre-primary / Primary / Middle/ High Secondary / Higher Secondary (Stream wise)	Proposed Annual Fee per student for forthcoming session.....	Annual Fee per student for last session	Increase / decrease in annual fees per student In percentage	Justification of fee increase as per sub- section(2) of section 3 of the Act
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tuition Fee				(The options as per sub- section (2) of section 3 of the Act shall be available in drop-down menu)
2	Library fee				
3	Reading room fee				
4	Games fee				
5	Laboratory fee				
6	Computer fee				
7	Caution Money				
8	Examination fee				
9	Fee for programs organized on occasions such as national festivals, Annual functions, Sporting events				
10	Admission fee				
11	Fee for registration, prospectus and admission form				
12	Any other amount which is mandatory for the student to pay;				
13	Any other amount payable by the students which may be prescribed by the Government				
14	Transportation fee				
	Total fee				

(Please attach Division-wise, category-wise in separate sheets.)

Authentication

It is certified that all the information given in the application form is correct to the best of my knowledge and belief and these have been verified from the original records of the school. It is also certified that as a result of increase in fees, in the accordance of Section 5 of Act.

The surplus on annual receipts, based on the proposed expenditure for the year for which the fee increase is proposed, shall not exceed 15% percent.

()
Authorized Signatory
Principal/Headmaster/Director/
Manager/Trustee
Name of the
school/Trust/Committee/Enterprises

Appendix-II**Undertaking**

I, **Authorized Signatory,**
 Mr./Ms./Mrs.....Son/Doughter/Spouse
 Shri..... Age Resident of in
 the capacity of Principal/Headmaster//Manager/Trustee hereby state that -

- I. The details shown in Form-1 and the evidence presented with the proposal are true and correct according to best of my knowledge.
 - II. The accounts submitted through Form-2 have been duly audited by the Chartered Accountant and the provisional budget estimates are certified by the Chartered Accountant.
 - III. If desired by the District / State Committee, I shall submit additional information or details and evidence etc, within the stipulated time frame given.
 - IV. For regulating fees and related matters, I shall abide by with the instructions of the District/State Committee.
 - V. The management of a the private school or a person authorized on its behalf shall not collect fees in excess of the prescribed fee under the provisions of these rule and shall not received any donation or capitation fee under any name whatsoever from any student, parent or guardian.
 - VI. Excess fees, if any, collected by the school management shall be refunded to the students, parents or guardians, as the case may be, within the stipulated time period as decided by District/State Committee.
 - VII. The income and expenditure details attached to the proposal are true and correct to the best of my knowledge.
- (2) I assure to follow the provisions of the Act and the rules made thereunder.
- (3) I certify that I have neither hidden any important facts nor given false or incorrect information.

Place :

Date

(Authorized signatory)

Principal/Headmaster/Director/Manag
er/Trustee

Authorized Officer/Person

Name of school

Name of Trust /Committee/Enterprises

Form-IV
(Sèe rule 4 (4) (G))

[The order to be passed under The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Rule, 2020 for the determination of fee structure by the District Committee.]

No. Date

Office of the District Committee for regulating fee and related issues

District :-----

Order

1. That the management of school has submitted a proposal for increment in fees structure in Form-3 on(date) along with the undertaking of the authorized Signatory, under the provisions of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2017 and clause (four) of sub-rule (2) of rule 3 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Rule, 2020 made there under.

2. That the proposal for fee increase as mentioned above was examined on the basis of justification for fee hike. Based on the evidence and documents submitted by the school management, the increment in fee was considered in terms of the provisions of the Act and the Rules.

3. That in connection with the case, private school management/student studying in that school/parent or guardian was given an opportunity of personal hearing on (This point should not be included if there is no hearing)

4. Therefore, in exercise of the powers conferred under The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2017 and the Rule 2020 made thereunder, subject to the conditions specified as below in this order,

The District Committee hereby agrees on the fee structure proposed by the private school management.

Or

The District Committee hereby decided the fees charged by the private school management as per Annexure - I.

Conditions (whichever is applicable):

I. In pursuance of sub-rule (8) of rule 4 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Niyam, 2020, fees structure decided as in para-4 above, shall be displayed in Hindi and English language for the information of the general public on school notice board and its official website.

II. In pursuance of sub-rule (9) of rule 4 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Niyam, 2020,

the management of a private school or any person authorized on its behalf shall not collect fee in excess of the decided fee as in para-4 above. Donation or Per Capita (capitation) fee in any name shall not be received from a student, parent or guardian.

iii. In pursuance of sub-rule (10) of rule 4 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Niyam, 2020, if the fees is collected in excess of the fee as decided in para-4 above by the private school management, that will be refunded to the concerned students, parents or guardians, as the case may be, within a period of 30 working days.

Or

In pursuance of sub-rule (11) of rule 4 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Niyam, 2020, if the fees decided as in para-4 above is more than the fees collected by the school, then in such case the arrear of the difference amount of fee will be withindays (time limit), the student, parent or guardian, will return to the school management.

**As per the order of the District
Committee for regulation of
fees and related Issue**

(Name)

**District Education Officer and
Member secretary
District.....**

Annexure-I

**Determination of fees for Pre-Primary / Primary / Middle/ High
Secondary/ Higher Secondary (Science / Commerce / Humanities /
Agriculture / Other stream) School:
(Should be prepared class wise and stream wise separately)**

No	Division/Stream	Proposed Fee per student by school management	Fee per student determined by District Committee
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pre-primary Class wise		
2	Primary Class wise		
3	Middle Class wise		
4	High Secondary Class wise		
5	Higher Secondary (Science / Commerce / Humanities / Agriculture / Other stream)		

(Name)

**District Education Officer and
Member secretary
District.....**

Form-Five (One)
(See rule 4 (6))

[The order passed under The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Rule, 2020 for the determination of fee structure by the State Committee.]

No. Date

Office of the State Committee for regulating fee and related issue
Goutam Nagar, Bhopal

Order

1. That the management of school has submitted a proposal for increment in fees structure in Form-3 on(date) along with the undertaking of the authorized Signatory, under the provisions of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2017 and clause (four) of sub-rule (2) of rule 3 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Rule, 2020.

2. That the proposal for increase of fees as mentioned above has been sent to the State Committee for its consideration by the District Committee with its opinion on authorized for regulation of fee and related issues in the pursuance of sub-rule (3) of Rule 4.

3. That the proposal for fee increase as mentioned above was examined on the basis of justification for fee hike. Based on the evidence and documents submitted by the school management, the increment in fee was considered in terms of the provisions of the Act and the Rules.

4. That in connection with the case, private school management/student studying in that school/parent or guardian was given an opportunity of personal hearing on (This point should not be included if there is no hearing)

5. Therefore, in exercise of the powers conferred under The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2017 and the Rule 2020, subject to the conditions specified as below in this order,

The State Committee hereby agrees on the fee structure proposed by the private school management.

Or

The State Committee hereby decides the fees charged by the private school management as per Annexure - I.

Conditions (whichever is applicable):

I. In pursuance of sub-rule (8) of rule 4 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Niyam, 2020, fees structure decided as in para-5 above shall be displayed in Hindi and

English language for the information of the public on school notice board and its official website.

II. In pursuance of sub-rule (9) of rule 4 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Niyam, 2020, the management of a private school or any person authorized on its behalf shall not collect fee in excess of the decided fee as in para-5 above. Donation or Per Capita (capitation) fee in any name shall not be received from a student, parent or guardian.

III. In pursuance of sub-rule (10) of rule 4 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Niyam, 2020, if the fees is collected in excess of the decided as in para-5 above by the private school management, that will be refunded to the concerned students, parents or guardians, as the case may be, within a period of 30 working days.

Or

In pursuance of sub-rule (11) of rule 4 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Niyam, 2020, If the fees decided as in para-5 above is more than the fees collected by the school, then in such case the arrear of the difference amount of fee will be withindays (time limit), the student, parent or guardian will return to the school management.

**As per the order of the State
Committee for Regulation of
Fees and Related Issue**

(Name)

**Director and Member secretary
Public Instructions, M.P.
Bhopal**

Annexure-I

**Determination of fees for Pre-Primary / Primary / Middle/ High
Secondary/ Higher Secondary (Science / Commerce / Humanities /
Agriculture / Other Stream) School:
(Should be prepared class wise and stream wise separately)**

No	Division/Stream		Proposed Fee per student by school management	Fee per student determined by State Committee
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Pre-primary	Class wise		
2	Primary	Class wise		
3	Middle	Class wise		
4	High Secondary	Class wise		
5	Higher Secondary (Science / Commerce / Humanities / Agriculture / Other Stream)	Class wise		

(Name)

**Director and Member secretary
Public Instructions, M.P. Bhopal**

Form-Five (Two)**(See rule 11 (4))**

[The order passed under The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Rule, 2020 for the determination of appeal and deciding fee structure by the State Committee.]

No. Date

Office of the State Committee for regulating fee and related issue

Goutam Nagar Bhopal, M.P.

Order

1. That the management of school has submitted a proposal for increment in fees structure in Form-3 on(date) along with the undertaking of the authorized person, under the provisions of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2017 and rule (2)(four) of rule 3 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Rule, 2020.

2. That the proposal for increase of fees as mentioned above has been decided on date..... by the District Committee authorized for regulation of fees and other issues in pursuance of sub-rule (3) of Rule 4. Aggrieved by the said decision, an appellate application has been submitted to this office on under sub-rule(1) of Rule 11, which is under consideration.

3. That the proposal for fee increase as mentioned above was examined on the basis of justification for fee hike. Based on the evidence and documents submitted by the school management, the increment in fee was considered in terms of the provisions of the Act and the Rules.

4. That in connection with the case, private school management/student studying in that school/parent or guardian was given an opportunity of personal hearing on (This point should not be included if there is no hearing)

5. Therefore, in exercise of the powers conferred under The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2017 and the Rule 2020 made there under, subject to the conditions specified as below in this order,

The State Committee after due consideration, accepting the appeal and hereby agrees on the fee structure proposed by the private school management.

Or

The State Committee after due consideration, rejecting the appeal and hereby agrees on the fee structure proposed by the District Committee.

Or

State Committee after due consideration of appeal decides the fees charged by the private school management as per Annexure - I.

Conditions (whichever is applicable):

I. In pursuance of sub-rule (8) of rule 4 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Niyam, 2020, fees structure decided as in para-5 shall be displayed in Hindi and English language for the information of the public on school notice board and its official website.

II. In pursuance of sub-rule (9) of rule 4 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Niyam, 2020, the management of a private school or any person authorized on its behalf shall not collect fee in excess of the decided fee as in para-5 above. Donation or Per Capita (capitation) fee in any name shall not be received from a student, parent or guardian.

III. In pursuance of sub-rule (10) of rule 4 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Niyam, 2020, if the fees is collected in excess of the decided as in para-5 above by the private school management, that will be refunded to the concerned students, parents or guardians, as the case may be, within a period of 30 working days.

Or

In pursuance of sub-rule (11) of rule 4 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Niyam, 2020, If the fees decided as in para-5 above is more than the fees collected by the school, then in such case the arrear of the difference amount of fee will be withindays (time limit), the student, parent or guardian will return to the school management.

**As per the order of the State
Committee for regulation of
fees and related matters**

(Name)

**Director and Member secretary
Public Instructions, M.P.
Bhopal**

Annexure-I

**Determination of fees for Pre-Primary / Primary / Middle/ High
Secondary/ Higher Secondary (Science / Commerce / Humanities /
Agriculture / Other Stream) School:
(Should be prepared class wise and stream wise separately)**

No	Division/Stream		Proposed Fee per student by school management	Fee per student determined by State Committee
(1)	(2)		(3)	(4)
1	Pre-primary	Class wise		
2	Primary	Class wise		
3	Middle	Class wise		
4	High Secondary	Class wise		
5	Higher Secondary (Science / Commerce / Humanities / Agriculture / Other Stream)	Class wise		

(Name)

**Director and Member secretary
Public Instructions, M.P.
Bhopal**

Form-Six
(See rule 6 (2))

(Affidavit shall be prepared on the non-judicial stamp paper of Rs. 100 / - by private school and upload online)

Affidavit

(Name of school) City/Town
 Block District: School
 DISE Code..... Trust/Committee/Undertaking
 Is operated by

I declare that the school has complied with the provisions as mentioned in sub-rule (1) of Rule 6 of The Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Rule, 2020, especially with reference to the following,

- I. Textbook
- II. Stationery
- III. Reading material
- IV. School bag
- V. Uniform
- VI. Sports Kit
- VII. Transport
- VIII. Any other

Promissory note

I, undersigned (Name).....
 (Age: Year), (Mention Business, School / Trust / Undertaking Name and Address) as Head Master / Principal / Manager/ Trustee/ Authorized Signatory (Write the name of the school):
 City..... Town..... Vidyalaya Code
 hereby solemnly declare that the statements made in the above paragraphs are true to the best of my knowledge and belief and are given on the basis of school records. I have not concealed any important fact nor produced any incorrect information. I know that preparing false affidavit is a punishable offence.

Head Master /Principal /
 Manager / Trustee/
 Authorized Signatory
 Name of school
 Trust / Undertaking /

Place:
 Committee Name:
 Date:
 Confirmed to
 Name and address:-